न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 55/2023 बउनवानी डॉ0भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र शेरसिंह यादव, निवासी 34 अल्कापुरी–ए मुरलीपुरा जयपुर 302013

GCMS No-2023/118

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.9.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 24.6.2023,10.7.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. यह है कि खसरा नया नम्बर 822/544 व 823/544 पुराना नम्बर 544/1 वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार के तथा 539,540,543/1 व 543/2 ग्राम दौलतपुरा के सीमाज्ञान बाबत प्रार्थीया श्रीमति राजरानी यादव, अन्य द्वारा क्रमशः दिनांक 8.5.2023 एवं 11.5.2023 को जरिये ई–मेल तहसीलदार खण्डार एवं रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित आवेदन पत्रों तथा इस संबंध में पटवारी दौलतपुरा को प्रेषित पत्र दिनांक 11.5.2023 को प्रेषित पत्र तथा पटवारी की प्राप्ति दिनांक मय रिसीप्ट रजिस्टर पटवार एवं तहसील कार्यालय एवं प्राप्ति/आवक रजिस्टर की प्र0प्रति तथा पटवारी द्वारा उक्त पत्र दिनांक 11.5.2023 की पालना में प्रेषित रिपोर्ट की प्र0प्रति तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा एलआरएक्ट नियम 34 में की गयी कार्यवाही की प्र0प्रति।
2. यह है कि तहसीलदार खण्डार के पत्रांक /एलआर/23/2176–77 दिनांक 2.5.2023 की प्र0प्रति तथा तहसीलदार खण्डार के पत्रांक एलआर/23 दिनांक 31.3.2023 की प्र0प्रति जो अजीत शेखावत नि0 दौलतपुरा को प्रेषित्त शुद्धा तथा अजीत सिंह द्वारा दिनांक 4.4.2023 को प्रस्तुत आपत्तियॉ की प्रमाणित प्रति तथा मा0 अपर जिला न्यायाधीश स0मा0 के आदेश दिनांक 1.5.2023 की प्र0प्रति तथा तरमीम नक्शा ख0प0 544 व 823/544 व 853 मय आस पास के खसरो की प्र0प्रति तथा अजीत सिंह द्वारा तहसीलदार खण्डार के विरूद्व प्रस्तुत मा0 एडीजे कोर्ट स0मा0 की प्र0प्रति।
3. यह है कि ख.प. 544/1 रकबा 16.01 बीघा नया नम्बर 823/544 रकबा 16.01बीघा तथा 823/544 रकबा 14.11 बीघा एवं 853/544 रकबा 1.10 बीघा की क्रमशः वि.स. 2066–69, 2070–73, 2074–77, 2078 से 2080 तक की ग्राम दौलतपुरा की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति।
4. यह है कि दिनांक 17.6.2023 को उक्त ख0न0 853/544 गै0मु0 सड़क की तरमीम मे त्रुटि दुरूस्ती हेंतु श्रीमति राजरानी यादव द्वारा कैम्प प्रभारी पाली उपजिला कलेक्टर खण्डार को प्रस्तुत ज्ञापन एवं उस पर तहसीलदार खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही एवं पत्र प्राप्ति की प्र0प्रति।
5. यह है कि उक्त कैम्प प्रभारी उपजिला कलेक्टर खण्डार को उक्त ख0न0 823/544 एवं 853/544 की सीमाज्ञान नही करने बाबत तहसीलदार खण्डार को प्रस्तुत शिकायत एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर उपजिला कलेक्टर खण्डार से तहसीलदार खण्डार को प्राप्ति दिनांक एवं की [illegible] कार्यवाही मय निर्धारित प्रारूप मे प्रा0पत्र दिनांक 8.5.2023 पर एवं 11.5.2023 पर पटवारी दौलतपुरा द्वारा आपत्ति पत्र निर्धारित प्रारूप मे सीमाज्ञान बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्र0प्रति तथा तहसीलदार द्वारा दर्ज क्रमांक एवं कार्यवाही की प्र0प्रति दिनांक 23.6.2023 को ख0न0 539,540 एवं 543/1 व 543/2 ग्राम दौलतपुरा के सीमाज्ञान बाबत दिनांक 11.5.2023 के प्रा0 पत्र पर पटवारी दौलतपुरा की आपत्ति पर निर्धारित प्रारूप के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान द्वारा राजरानी यादव के दर्ज न./प्राप्ति एवं की गयी कार्यवाही की प्र0प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

6. यह है कि ख0न0 823/544 एवं 853/544 बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा पटवारी दौलतपुरा बाबत रकबा मिलान की रिपोर्ट दिनांक 19.5.2023 एवं उक्त पर तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट मय टिप्पणी की प्र0प्रति।

7. यह है कि तहसीलदार खण्डार के नकल आवेदन रजिस्टर की दिनांक 19.5.2023 से 26.5.2023 की प्र0प्रति।

(ए). यह है कि ख0न0 823/544 की तरमीम बाबत तहसीलदार खण्डार के आदेश क्रमांक एलआर/22/6485 दिनांक 27.12.2022 तथा दिनांक 3.3.2023 एवं 24.3.2023 बाबत गठन टीम के आदेश की प्रमाणित प्रति

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु जरिये डाक–ईमेल अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 20.9.2023 न्यायालय को भिजवाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.6.2023 व 10.7.2023 मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को अभी तक प्राप्त नही हुई है अतः सूचना दिलवायी जावे। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/भू0अ0/2023/4423–24 दिनांक 22.9.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.6.2023 एवं 10.7.2023 के बिन्दु संख्या 1,3,5,6,7ए मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 4422 दिनांक 22.9.2023 से भिजवाते हुए शेष बिन्दु संख्या 2,4 की सूचना नही दिये जाने के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.6.2023 व 10.7.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,3,4,5,7ए में चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा जरिये पत्रांक 4422 दिनांक 22.9.2023 से अपीलान्ट को भिजवाई जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2,4 की सूचना देने योग्य नही होने के कारण सूचना नही दिये जाने के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह पाया गया है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा बिन्दु संख्या 7 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी [illegible] कि एवं उक्त बिन्दु संख्या 7 की सूचना भी अपीलान्ट को 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner